

(च) किसी भू-खण्ड धारक द्वारा इन शर्तों में से किसी को भी भंग किए जाने की दशा में, वह निष्कासित किए जाने का दायी होगा।

दिनांक

मुद्रा

स्थान

तहसीलदार

नाम.....

पदनाम.....

तहसील.....

जिला.....

अन्तिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2021

फा. क्र. 3919-इक्कीस-ब(एक)-2021.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 में, उप-नियम (1) में, तीसरे परन्तुक में, शब्द और अंक “और 60 वर्ष से कम आयु है,” विलोपित किए जाएं।”

F. No. 3919-XXI-B (One) 2021.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Family Court Rules, 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 8, in sub-rule (1), in third proviso the words and figures “and is below 60 years of age” shall be deleted.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव